न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 739-II/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 434/2009–10/अपील.

गोवर्धनलाल पिता कालू धाकड़ मंडावलिया (फौत) वारिसान :–
1–बरदीबाई विधवा गोवर्धनलाल
2–रामानंदीबाई पिता स्व0गोवर्धनलाल
3–तुलसीबाई पिता स्व0गोवर्धनलाल
4–मंगल पुत्र गोवर्धनलाल
निवासी खाचरौद तहसील खाचरौद
जिला उज्जैन

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–भूपेन्द्र पिता गणेशीलाल उपाध्याय
निवासी खाचरोद तहसील खाचरौद
जिला उज्जैन

.... अनावेदकगण

....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री योगेन्द्रसिंह , अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर उज्जैन के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि ग्राम दुपावडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 80 रकबा 1.14 हेक्टेयर भूमि मंदिर की भूमि है जिस पर आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये दिनांक 30–9–2004 को नामान्तरण आदेश पारित करा लिया गया हे अतः प्रश्नाधीन भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज की जाये । उक्त शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08 / बी–121 / 07–08 दर्ज कर तहसीलदार के प्रकरण कमांक 104 / अ–6 / 03–04 में पारित आदेश दिनांक 30–9–04 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 8–1–08 को दी गई । प्रकरण तहसीलदार को वापिस प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 8–1–08 को ही प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में 30–9–04 के पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–10 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत् रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–3–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि सम्वत् 2093 से संहिता के लागू होने के पूर्व से आवेदक को पटटे पर प्राप्त है और व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का आवेदकगण को भूमिस्वामी माना है अर्थात व्यवहार न्यायालय की डिकी आवेदकगण के पक्ष में है । उक्त डिकी के विरूद्ध शासन द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि अदम पैरवी में खारिज हुई और पुर्नस्थापन आवेदन पत्र भी निरस्त हुआ ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासकीय भूमि से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अभिमत चाहा गया था और शासकीय अभिभाषक द्वारा डिक्री का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–04 वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसके पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पुनर्विलोकन की परिधि में नहीं आता है क्योंकि अनावेदक कमांक 2 का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित निहित नहीं है अतः ऐसे आवेदन पत्र पर तहसीलदार द्वारा की गई पुनर्विलोकन की कार्यवाही विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(5) शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर पुनर्विलोकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(6) व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य विवाद के संबंध में तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि में शासन हितबद्ध पक्षकार है परन्तु उसके द्वारा पुनर्विलोकन नहीं किया गया है ।

(8) अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिये गये हैं परन्तु कलेक्टर द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(9) तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–9–04 का पुनर्विलोकन वर्ष 2007 में किया गया है जबकि इसके लिये 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है और विलम्ब क्षमा हेतु कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(10) संहिता की धारा 111 के अन्तर्गत स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाता है और प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का निर्धारण आवेदक के पक्ष में कर दिया गया है ।

तर्क के समर्थन में 2000 आरएन 76 व 161, 1980 आरएन 534, 2009 आरएन 96, 2011 आरएन 186, 1991 आरएन 51 व 184, 1994 आरएन 293, 1998 आरएन 382, 1987 आरएन 34, 2007 आरएन 77, 2010 आरएन 124 एवं एआईआर 1959(एस.सी.)456 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4– अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन मंदिर की भूमि होकर शासकीय भूमि है जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–04 को नामान्तरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई थी, अतः उक्त आदेश का पुनर्विलोकन किये जाने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–04 के पूर्व की स्थिति कायम करने में भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा उचित कार्यवाही की गई है ।

5– अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह मान्य किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक को भूमिस्वामी घोषित नहीं किया गया है और इसके पश्चात् आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी घोषित कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की होना स्पष्ट है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये है वह अभिलेख के अनुरूप होकर अंतिम हो चुके हैं जिसमें निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(3) इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है अतः प्रथमदृष्टया ही निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश में आवेदक को विधि अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त करने का उल्लेख किया है । भूमिस्वामी अधिकार दिये नहीं है । तहसीलदार ने गलत व्याख्या कर नामान्तरण किया है जो विधि विरूद्ध था । मंदिर की भूमि पर बिना अधिकार के नाम अंकित कराया है, अतः तहसीलदार ने विधिवत् पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर पूर्व की स्थिति कायम की है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 2004 आरएन 370 में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों द्वारा तथ्यों के एक ही निष्कर्ष निकाले गये – उचित और वैध पाये गये – पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।"

अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7– उपरोक्त अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2011 स्थिर रखा जाता है । कलेक्टर को निर्देश भी दिये जाते हैं कि वह सुनिश्चित करें कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में जिस फोलोअप कार्यवाही का उल्लेख किया है वह समय सीमा में सम्पन्न हो जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.